ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 189-190
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

महिला निरक्षरता उन्मूलन में उच्च शिक्षण संस्थाओं की भूमिका

डॉ0 सुशील कुमार शुक्ला प्रिंसिपल– साई कालेज ऑफ एजूकेशन, महोबा (उ0प्र0), भारत

Received-21.05.2023, Revised-26.05.2023, Accepted-30.05.2023 E-mail: sushilkumar.shukla41@gmail.com

सारांशः ***कमजोर वर्ग की निरक्षर महिलाओं के प्रति स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण का सदा अभाव रहा है। उसे निरीह और बेजुबान प्राणी की तरह माना जाता है। जबकि सच यह है कि सामाजिक–आर्थिक जीवन गत्यात्मकता को बनाये रखने में उसी जाति की चाहे साक्षर हो या निरक्षर, महत्वपूर्ण और अहम् भूमिका होती है।[1] निरक्षर महिलाएँ, साक्षर अथवा शिक्षित होकर समाज के प्रति विशेष संवेदनशील और चेतनशील हो जाती है और समाज की गति को दिशा प्रदान करती है तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। यद्यपि सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक और स्वाभाविक वास्तविकता है।[2] प्रत्येक समाज में चाहे वह जटिल हो या सरल, सभ्य हो या असभ्य, आदिम हो या आधुनिक, परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। परिवर्तन की इस स्वाभाविक प्रक्रिया को तीव्र करने में साक्षर और शिक्षित महिलाओं का अधिक योगदान होता है। महिला निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम इसी प्रक्रिया की एक कड़ी है। आधुनिक समाज में दिनोंदिन जटिलता बढ़ती जा रही है।[3] यह समाज आदिम समाज की तरह सरल नहीं है। इस वर्तमान समाज में अनेक प्रकार की विघटनकारी और विध्वंसकारी तत्व मौजूद है। निरक्षरता की स्थिति में ये विनाशकारी तत्व समाज पर हावी हो जाते हैं और समाज, परिवार और राष्ट्र को कमजोर करने में लग जाते हैं। निरक्षर महिलाओं को तो घर के बाहर तथा बौद्धिक शोषण का शिकार होना पड़ता है।[4]***

कुंजीभूत शब्द–कमजोर वर्ग, सामाजिक दृष्टिकोण, बेजुबान प्राणी, सामाजिक, आर्थिकि जीवन, गत्यात्मकता, साक्षर, निरक्षर, शिक्षित।

सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक और बौद्धिक शोषण से बचाने तथा राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने तथा कुशल और जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से ही महिला निरक्षरता उन्मूलन अथवा साक्षरता अभियान सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थायें द्वारा अनेकानेक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं। ध्यान में यह रखा गया है कि समाज और राष्ट्र का वास्तविक चतुर्दिक विकास तबतक संभव नहीं है, जब तक कि महिलाओं को भी, जो पुरूष की जनसंख्या के समान है। विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं है, जहाँ के जीवन में स्त्री के महत्व को पूरी तरह नकार दिया गया हो। भारतीय सन्दर्भ में स्त्रियों की स्थिति विभिन्न कालों में भिन्न–भिन्न प्रकार की रही है। जहाँ पूर्व ऋग्वैदिक युग में सभी स्त्रियों को, जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे, वहीं उत्तरवैदिक काल, धर्मशास्त्र काल, मध्यकाल और मुगल काल में इसकी स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आती गयी।[5]

ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल से महिलाओं की स्थिति में सुधार के आसार दिखायी पड़ने लगा। तत्कालीन भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के चेतनशील प्राणियों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया तथा इसके लिए निरक्षरता को अभिशाप और कलंग मानकर इसे साक्षरता मिशन के साथ जोड़ दिया। बिटिश युग के उत्तरकाल में नव–शिक्षा के प्रचार–प्रसार, नयी शिक्षा नीति के निर्माण और नारी की सामाजिक, आर्थिक, रानीतिक और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन लाने सम्बन्धी विचारात्मक आन्दोलन के अस्तित्व में आने के कारण जन–जीवन विशेषकर नारी जीवन में नयी चेतना का संचार और विकास हुआ। इसी समय जन–जागरण, सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलन, जन–शिक्षा और अंग्रजों की स्वस्थ नीति के कारण, स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। नयी–नयी नीतियों का निर्मा हुआ और नारी शिक्षा को और नारी साक्षरता एवं जागरूकता को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर कार्यक्रम बनाये गये। ध्यान में यह रखा गया है कि राष्ट्र की प्रगति और विकास का कोई भी कार्यक्रम तबतक सफल नहीं हो सकता जबतक कि स्त्रियों को पूर्ण साक्षर और पूर्ण जागरूक न बना दिया जाय। महिला–वर्ग सामाजिक, आर्थिक जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखने वाला एक ऐसा सबल वर्ग है, यद्यपि इसे अबतक अबला ही माना गया है, जो न केवल पारिवारिक गत्यात्मकता को तीव्र और कुशल बनाता है, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बर्द्धन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर परम्परावादी और रूढ़िवादी मूल्यों से संघर्ष भी करता है और उसकी जगह नये मूल्यों, नवाचारों, नव–अभिनवों और नव–आदर्शों को स्थापित भी करता है जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास की व्यापकता अनिवार्य हो जाती है।[6] समाज के उस आध ो–अंग से पंगु होने से बचाने के लिए साक्षरता मिशन विशेषकर उन महिलाओं को ग्रामीण परिवेश वाली और नगर में गन्दी बस्तियों, झुग्गी–झोपड़ियों और नदी–नालों के किनारे रहने वाली, की योजना और क्रियान्वयन आधुनिक युग के लिए अपरिहार्य है।

निरक्षर महिलाओं को साक्षर किये बिना सामाजिक परिवर्तन और विकास की बात बेमानी हो जाती है। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता के प्रति अपना विचार स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक एण्डरसन तथा पाशकर ने कहा है कि ''सभी पहलुओं की भाँति समाज भी हमेशा कुछ ऐसी शक्तियों से प्रभावित रहा है, जिसके कारण परिवर्तन होता है।''[7]

वस्तुतः महिलाएँ किसी भी समाज की सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन का दृढ़ आधार होती है। इसीलिए निरक्षरता उन्मूलन द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के प्रयत्न जारी है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में नवीन शिक्षा नीति और आधुनिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से निरार महिलाओं को साक्षर बनाने, जागरूक बनाने, कुशल बनाने और योग्य बनाने के ठोस प्रयास प्रारंभ हुए। अब महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नहीं, बल्कि समान श्रेणी का नागरिक माना जाने लगा। संविधान के निर्माताओं ने समानता के सिद्धान्त को अपनाकर संविधान में स्त्री–पुरूष के अधिकार को समान बना दिया। संविधान की धारा 15 के अनुसार स्त्री–पुरूष दोनों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है। सभी क्षेत्रों और सभी सेवाओं में लिंग के आधार पर भेद करना वर्जित और गैर–कानूनी है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

1956 ई0 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को माता, पुत्री, पत्नी आदि के रूप में पुरूषों के समान ही संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न सुधार आन्दोलनों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयत्नों, व्यक्तिगत प्रयासों और महिला साक्षरता कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रकार की महिला कल्याण संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप स्त्रियों की जागरूकता, शिक्षा कुशलता और प्रस्थिति में निश्चय ही अनेक परिवर्तन और सुधार आये हैं, परन्तु वे सुधार और परिवर्तन संतोषजनक नहीं है। कानूनी तौर पर भले ही स्त्रियों को संपति और शिक्षा के समान अवसर की सुविधा मिल चुकी है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से आज भी महिलाएँ विशेषकर निरक्षर और गरीब महिलाएँ, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक–शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है तथा अनेक प्रकार की अकुशलताओं और अयोग्यताओं के मकड़जाल में जकड़ी हुई है। यद्यपि महिलाओं में इतनी शक्ति अन्तर्निहित है कि यदि सही से उसे सुशिक्षित या साक्षर किया जाय तो समाज को वह नई दिशा भी दे सकती है।

निरक्षरता के कारण महिलाओं का विकास रूका रहता है। निरक्षर महिलाएँ न तो अपने अधिकारों को जानती हैं और न ही अपने सामाजिक–राष्ट्रीय उद्देश्यों को पहचानती हैं, उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि हम भी पुरूष के बराबर हैं अथवा संविधान, सरकार एवं कानून ने हमें बराबर का दर्जा और अधिकार प्रदान किया है अथवा हम भी पुरूष के समान सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेकर अपनी, अपने परिवार की और राष्ट्र की आय में वृद्धि कर सकती हैं तथा देश के भविष्य के नव–निर्माण और नव विकास में अपनी सहभागिता दिखला सकती है। वस्तुतः अज्ञानता ही उनकी अकुशलता और अक्षमता का कारण बनती है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया के तमाम संवेदनशील लोगों ने यह महसूस किया कि महिलाएँ और सामाजिक विकास की न केवल सहायिका हैं, बल्कि एक बड़ी शक्ति औश्र प्रगति के जीवन्त स्रोत हैं, जिनका अभी तक विकास के लक्ष्यों के साथ जोड़कर उपयोग में नहीं लाया गया है। इसीलिए भारत में महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने के लिए तथा उन्हें समाज की सामान्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। कहा जाता है कि समाज की दश में तबतक वास्तविक परिवर्तन और अनुकूल विकास संभव नहीं है जबतक कि पिछड़े समाज की महिलाओं को भी साक्षर और जागरूक नहीं बनाया जाय। इसके लिए यह अपरिहार्य है कि महिलाओं को भी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों से जोड़ा जाय।

इसके लिए सरकार ने यू0जी0सी0 को अधिकृत किया कि वे विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा विश्वविद्यालयों को जोड़कर तथा अपने शिक्षकों एवं छात्र–छात्राओं के सहयोग से साक्षरता अथवा निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम को विकसित करे। इस प्रकार के विकासशील कार्यों के क्रियान्वयन के लिए यू0जी0सी0 ने विश्वविद्यालयों को विशेष वित्तीय सहायता एवं अनुदान देने की व्यवस्था की हैं शिक्षा विकास एवं सामजिक विकास के क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए यू0जी0सी0 ने विश्वविद्यालयों को न केवल अपना नेट बनाया, बल्कि दूसरी अनेक सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं से सहयोग लेने के लिए भी दिशा निर्देश दिया तथा छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों के रिर्सोसेज को उपयोग में लाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित प्रमुख हैं:– 1. नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 2. कन्टीन्यूरंग एजुकेशन प्रोग्राम 3. इराडिकेशन ऑफ प्रोग्राम 4. मास प्रोग्राम फॉर फकश्नल लिटरेसी 5. पॉपुलेशन एजुकेशन क्लब 6. लीगल लिटरेसी 7. सायंस एण्ड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन

इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए यू0जी0सी0 ने विश्वविद्यालयों को यह भी दिशा–निर्देश दिया कि वह निम्नांकित संस्थाओं से भी सहयोग ले सकता है, जैसेः– 1. हेल्थ एजुकेशन 2. बैंकिंग एण्ड क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन 3. टेक्नीकल एजुकेशन 4. रूरल एण्ड कम्यूनी डिवलपमेन्ट 5. ट्राइवल एण्ड हरिजन डिवलपमेन्ट 6. रूरल एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज 7. इनफॉरमेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग 8. एन0एस0एस0 और 9. एन0सी0सी आदि।

निष्कर्ष– महिलाओं के पारम्परिक विचार, अनुभव और क्रियाकलाप में अंतर और परिवर्तन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए यह विचार दिया गया कि इनको साक्षर बनाने के पहले यह भी जरूरी है कि उन्हें किस मेथड अर्थात् प्रविधि से साक्षर और योग्य बनाया जाय। उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हों? यदि शिक्षक स्वयं ही सही ढंग से प्रशिक्षित और योग्य नहीं होंगे अथवा जिन्हें वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा तो कदापि निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने में उतना उपयोगी न होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एण्डरसन तथा पारकरः 'सोसायटी इट्स ऑर्गेनाइजेशन एण्ड आपरेशन'।
3. कणवाल, डॉ0 रामलाल : 'मोटिवेशन टुवार्डस एडल्ट एजुकेशन क्राइटेरियन पब्लिकेशन, नयी दिल्ली।
4. कान्हू, सी0एल0: 'एडल्ट एजुकेशन' स्टर्लिंग पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1986.
5. गिन्सबर्गः 'दि प्रोवलेम्स एण्ड मेथड ऑफ सोस्यॉलाजी'।
6. जैकवसन डी0 एण्ड वेडले, एस0: 'विमेन इन इंडिया परस्पेक्टिव'88 मनोहर बुक सर्विसेज, नई दिल्ली।
7. नाईकः 'एजुकेशन ऑफ वीमेन इन दि प्रोविन्स ऑफ बाम्बे' शोध प्रबन्ध, 1947.
8. बसु, ए0: 'फीमेल एजुकेशन इन बिहार फ्राम 1904 ए0डी0 टूधि प्रोजेक्टेड, पी–एच0डी0 एजुकेशन, पटना, 1975.
9. मिश्रा, एल0 : एजुकेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया फ्राम 1921 टू 1955 शोध प्रबंध सागर विश्वविद्यालय।

*****